बढ़ाई जावे

27/1/24 आज पश्चात्वर्ती प्रेक्षण के लौटाई आपत्ति पत्रावली आज बाबित नहीं। पत्रावली का अल्प समय अवधि दर्शाते अवमुक्त हमारी एवं 04 Rs. 1/- LPC के तहत बाबित किया जा चुका है। पत्रावली के पृष्ठ 218 पर अंकित 30.06.2022 की जारी अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है। पत्रावली अग्रिम हेतु बाबित दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.05 12:17:20 IST
Reason: SelfAttested